

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1486(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.5.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1030(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री केशव ट्रस्ट, #504, 40वां क्रॉस, जयानगर, आठवां ब्लॉक, बेंगलुरु-560070” “आँख की विभिन्न दशाओं के स्वस्थाने उपचार के प्रयोग के माध्यम से व्यापक आँख देखभाल” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 4.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “श्री केशव ट्रस्ट, #504, 40वां क्रॉस, जयानगर, आठवां ब्लॉक, बेंगलुरु-560070” द्वारा चलाई जा रही “आँख की विभिन्न दशाओं के स्वस्थाने उपचार के प्रयोग के माध्यम से व्यापक आँख देखभाल” की परियोजना अथवा स्कीम को 4.95 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 140/2015/फा. सं. की -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)